संख्याः– 595 / XVII-5 / 16 / 09(17) / 2004

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) **समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,**
उत्तराखण्ड शासन।

(ii) **मण्डलायुक्त,**
गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल,
उत्तराखण्ड।

(iii) **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तराखण्ड।

(vi) **समस्त विभागाध्यक्ष**
उत्तराखण्ड।

(v) **प्रबन्ध निदेशक,**
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0
(उपनल), देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग **देहरादून 09 जून, 2016**

विषयः–उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से पूर्व सैनिकों को प्रायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–323 / XVII-3/13-09(17)/2004 दिनांक 12.06.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त समस्त शासकीय विभागों / प्रतिष्ठानों / संस्थानों / निगमों / स्थानीय निकायों एवं स्वात्तशासी संस्थानों आदि में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से केवल भूतपूर्व सैनिकों को ही प्रायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) द्वारा केवल भूतपूर्व सैनिकों को ही 10 वर्ष की अवधि तक विभिन्न शासकीय विभागों / निगमों आदि में प्रायोजित किया जायेगा। उक्त शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा तथा इसका कोई प्रभाव उपनल द्वारा पूर्व में प्रायोजित कर्मियों पर नही पड़ेगा।

इस सम्बन्ध में पूर्व में उपनल के माध्यम से प्रायोजित कर्मियों के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध पूर्व की भांति यथावत रहेंगी।

भवदीय

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः– (1) / XVII-5 / 16–09(17)04 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

GO UPNAL 2016